M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन,तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
दूरभाषः मुख्यालय भोपाल-0755 / 2776575
बाबई फार्म 9424650532

आम एवं कटहल बगीचों के विक्रय करने हेतु

निविदा (द्वितीय आमंत्रण)

प्रपत्र 2019

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन,तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 / 2776575
बाबई फार्म 9424650532

<u>आम एवं कटहल बगीचों के विक्रय हेतु निविदा (द्वितीय आमंत्रण)</u>

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 1000.00

मेसर्स / श्री .... से निविदा प्रपत्र के मूल्य हेतु राशि रूपये 1,000.00 (शब्दों में रूपये एक हजार मात्र) मनीरसीद क्रमांक.................... .... दिनांक .... से प्राप्त किये गये ।

निविदा प्रपत्र जारी करने की निर्धारित समय सीमा – दिनांक 26.03.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे तक

सीलबंद निविदा प्रपत्र जमा करने की समय सीमा – दिनांक 26.03.2019 को अपरान्ह 3.30 बजे तक

प्राप्त निविदा खोलने का समय– दिनांक 26.03.2019 को अपरान्ह 4.00 बजे

उप महाप्रबंधक (बाबई)

1 निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर एवं संकल्प धन राशि के ड्राफ्ट के साथ लिफाफा क्रमांक 1 में रखें ।
2. वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र क.–4 पृ. क.–12 लिफाफा क.–2 में रखा जाये ।
3. निविदा के किसी प्रपत्र को (वित्तीय प्रस्ताव को छोड़कर) अलग न किया जाये ।

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि
पंचानन भवन,तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575 बाबई फार्म 9424650532

क्रमांक/मुख्या/बाबई–4/2019/6557 दिनांक 13.03.2019

आम एवं कटहल बगीचे के विक्रय हेतु निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई जिला होशंगाबाद में आम एवं कटहल के बगीचे के विक्रय हेतु निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद निविदायें दिनांक 26.03.2019 को आमंत्रित की जाती है । विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध है ।

निविदा सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए उपर्युक्त वेबसाईट पर ही दी जायेगी ।

उपमहाप्रबंधक (बाबई)

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि

पंचानन भवन,तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575 बाबई फार्म 9424650532

आम एवं कटहल बगीचों के विक्रय हेतु जानकारी (द्वितीय आमंत्रण)

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई जिला होशंगाबाद में 215 एकड़ के आम एवं 44 एकड़ के कटहल बगीचों के विक्रय हेतु निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद निविदायें आमंत्रित की गई है । विक्रय किये जाने वाले बगीचे एवं संकल्प धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	बगीचे का नाम	इकाई क्र.	रकबा एकड़ मे	प्लाट क्र.	वृक्षों की संख्या	संकल्प राशि (रू. में)
1	आम	एक	82	5,6,7,8 एवं 9	1297	3,25,000/–
2	आम	एक	53	14 एवं 15	938	2,00,000/–
3	आम	दो	80	28,30,32 एवं 33	1231	3,00,000/–
4	कटहल	एक	18	अ/10	443	100,000/–
5	कटहल	एक	26	ब/11	732	1,50,000/–

निविदा की निर्धारित शर्ते निगम मुख्यालय एवं यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई में देखी जा सकती है तथा निविदा प्रपत्र का विक्रय मुख्यालय एवं प्रक्षेत्र से (मंगलवार को छोड़कर) दिनांक 26.03.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे तक राशि रू 1000/–नगद जमा कर प्राप्त किये जा सकते है, जो दि. 26.03.2019 को 3.30 बजे तक निगम मुख्यालय में निविदा बॉक्स में मय संकल्प धन राशि बैंक ड्राफ्ट निगम के नाम से भोपाल देय हो, (नगद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी) के साथ प्राप्त किये जाकर अपरान्ह्
4.00 बजे उपस्थित निविदाकार/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेगें । किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा ।

उपमहाप्रबंधक (बाबई)

<u>प्रपत्र क्रमांक –1</u>

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन,तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
दूरभाषः मुख्यालय भोपाल-**0755 / 2776575** बाबई फार्म 9424650532

<u>आम एवं कटहल बगीचों के विक्रय करने हेतु निविदा की सामान्य शर्ते ।</u>

1. निविदा सूचना में प्रकाशित बगीचे निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई जिला होशंगाबाद में स्थित है ।

2. प्रत्येक निविदाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी दर प्रस्तुत करने के पूर्व बगीचे का भलीभांति निरीक्षण कर ले(मंगलवार को छोड़कर) जिसके लिये वह निविदा प्रस्तुत कर रहा है।

3. निविदा सूचना में उल्लेखित प्रत्येक बगीचे के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के लिये दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

4. **<u>संकल्प धनराशि :–</u>**

4.1 संकल्प धनराशि बगीचेवार (एकड़ में) पृथक–पृथक जमा करनी होगी ।

4.2 संकल्प धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट् " **दि. एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड.डेव्ह.कार्पो. लि." के नाम से जो भोपाल** देय हो, प्रस्तुत किया जाये ।

4.3 बिना संकल्प धनराशि (ड्राफ्ट) के कोई भी निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।

5. **<u>निविदा को प्रस्तुत किया जाना :–</u>**

5.1 पृष्ठ क्रमांक 2 पर उल्लेखित समय सीमा में निविदा प्रपत्र का क्रय करना उसे जमा करना एवं खोलने का रहेगा । इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा । यदि निर्धारित दिनांक को शासकीय अवकाश घोषित होता है तो उसे आगामी कार्य दिवस में समान समय पर कार्यवाही की जावेंगी ।

5.2 निविदा यदि डाक से प्राप्त होती है ,तो उसे निर्धारित समय एवं दिनांक पर प्राप्त होना आवश्यक है । निविदा यदि समय एवं दिनांक पर प्राप्त नहीं होती है तो उसे विचारक्षेत्र में नहीं लिया जायेगा ।

5.3 निविदा प्रपत्र रू. 1000/– के नगद भुगतान किये जाने पर इस निगम कार्यालय से एवं यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई से दिनांक 26.03.2019 को 1.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

5.4 निविदाकार निविदा के सभी पृष्ठ क्र. 1 से 11 तक हस्ताक्षर करेंगे व हस्ताक्षर के नीचे नाम भी अंकित करेंगे । कम्पनी के प्रकरण में सील भी अंकित करेंगे ताकि जिस निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत की जा रही है उनके मूल अधिकार पत्र भी (मूल दस्तावेज में) प्रस्तुत किया जाना होगा ।

.5..

5.5 निजी व्यक्ति द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति व फर्म/कम्पनी की ओर से निविदा प्रस्तुत करने पर फर्म/कम्पनी का वैद्य गुमाश्ता प्रमाण–पत्र कम्पनी निर्गमन की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी । कम्पनी के प्रकरण में निविदा प्रस्तुत करने के अधिकार संबंधी संचालक मंडल के निर्णय की प्रति के साथ प्रस्तुत करना है ।

6. <u>निविदा प्रस्तुत करने की लिफाफा पद्धति :–</u>

6.1 **लिफाफा कं 1 में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज** :– निविदा के पृष्ठ 1 से 11 तक उपरोक्त शर्त **क. 5.4 एवं 5.5 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें निविदाकार अपना नाम, पता एवं मोबाईल नं. भी लिफाफे** पर अंकित करें ।

6.2. संकल्प धनराशि का क्षेत्रफलवार का डिमांड ड्राफ्ट जो **''एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमि**''के नाम से जो भोपाल में देय हो, सम्मिलित किया जाए ।

6.3 निविदा प्रपत्र की शर्त क. 5.4 एवं 5.5 में दर्शित अधिकार–पत्र ,अनुबंध प्रारूप (**प्रपत्र क.–2**) एवं संकल्प धनराशि का विवरण (**प्रपत्र क.–3**) लिफाफा क.–1 में रखें ।

6.4 **<u>लिफाफा क.–2 :–</u>** निविदाकार स्वयं का नाम, पता एवं मोबाईल नं. भी आवश्यक रूप से अंकित करें ।

6.5 निविदाकार दरें निविदा **(प्रपत्र क.–4)** में प्रस्तुत की जायेगी ।

इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखा जाये तथा सीलबंद किया जाये । बड़े लिफाफे पर निविदाकार का नाम, पता एवं मोबाईल नं. तथा बड़े अक्षरों में **आम एवं कटहल बगीचों के विकय हेतु** निविदा' लिखा जाये ।

7. <u>निविदा को खोला जाना एवं स्वीकार करना :–</u>

7.1 निविदा को दिनांक 26.03..2019 को अपरान्ह 3.30 बजे निगम के मेजनाईन तल पर प्राप्त कर इसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि (केवल एक) के समक्ष खोली जायेगी । निविदा प्रपत्रं की समस्त शर्तों की पूर्ति करने वाले निविदाकार का ही लिफाफा क.–2 को खोला जायेगा अपूर्ण एवं बिना संकल्प धनराशि के प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

7.2 यदि निगम आवश्यक समझेगा, तो निविदाकारों से दरों पर चर्चा (**Negotiation**) कर सकेगा। दर चर्चा सर्वप्रथम अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से की जाएगी , असहमति होने की दशा में यह दर चर्चा द्वितीय, तृतीय एवं आगे के अधिकतम दर देने वाले निविदाकर्ताओं से की जायेगी । निगम के प्रबंध संचालक को निगम के पक्ष में अधिकतम राशि प्राप्त करने हेतु कोई भी प्रकिया के निर्धारण का अधिकार होगा । कम राशि देने वाले निविदाकार को इस संबंध में आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा । जिस अधिकतम दर पर निगम एवं निविदाकार की सहमति हो जाती है, उस निविदाकार को निगम द्वारा लिखित में निर्धारित प्रपत्र क.–2 में अनुबंध रू. 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराईज्ड कराकर प्रस्तुत करना होगा ।

..6 ..

8.**अन्य विवरणः–**

8.1 जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे निगम द्वारा पत्र से एवं उपलब्ध कराये गये मोबाईल पर सूचित किया जायेगा तथा निगम मुख्यालय एवं बाबई प्रक्षेत्र के नोटिस बोर्ड पर भी ऐसी सूचना लगायी जायेगी ।

8.2 निविदा मान्य करने की सूचना–पत्र के दिन से 3 दिवस के अंदर संबंधित निविदाकर्ता को **प्रपत्र क.–2 में अनुबंध रू. 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित** एवं नोटराईज्ड कराकर प्रस्तुत करना होगा । (समस्त व्यय निविदाकार द्वारा किया जायेगा) अनुबंध प्रस्तुत करने के पश्चात ही निगम के निर्देशानुसार निविदाकर्ता को दि. **15.07.2019** तक बगीचेवार जिसके लिये निविदा मान्य की गयी है ,आधिपत्य दिया जायेगा । अनुबंध के पश्चात निविदाकार को अनुबंधकर्ता कहा जायेगा ।

8.3 अनुबंध निष्पादित करने के साथ–साथ स्वीकृत राशि की 30 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी । यह राशि संकल्प धनराशि के अतिरिक्त होगी, शेष 70 प्रतिशत राशि आगामी 7 दिवस (अर्थात निविदा मान्य करने की सूचना पत्र के दिनांक से 10 दिवस के अन्दर) जमा करानी होगी । देय 70 प्रतिशत राशि में संकल्प धनराशि के रूप में जमा राशि का 85 प्रतिशत न्यूनतम राशि रू. 5,000/– जो अधिकतम हो ,को छोड़कर शेष राशि समायोजित की जायेगी । शेष 15 प्रतिशत राशि बगीचे से संबंधित कार्य पूर्ण होने के बाद सही हालत में बगीचे को प्रक्षेत्र प्रभारी को सौंपने के पश्चात वापस की जायेगी । यदि निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार समय–सीमा में राशि जमा नहीं करायी जाती है ,तो **प्रत्येक दिवस एक प्रतिशत** राशि पेनाल्टी के रूप में (**निविदा की स्वीकृत राशि का**) अतिरिक्त देना होगी । यह अवधि अधिकतम एक सप्ताह की होगी अन्यथा निगम निविदा के साथ जमा संकल्प धनराशि एवं 30 प्रतिशत राशि को जप्त कर लेगा तथा आम या कटहल बगीचे के विक्रय के संबंध में अन्य कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

8.4 अनुबंध निष्पादित होने एवं समस्त राशि जमा करने के पश्चात ही अनुबंधकर्ता को संबंधित फलवृक्षों से फल उतारने का अधिकार प्राप्त होगा ।

8.5 अनुबंधकर्ता की निविदा स्वीकृत होने के उपरांत जब तक अनुबंधकर्ता सम्पूर्ण राशि कार्यालय में जमा नहीं कर देता इसके पूर्व तक यदि हवा, आंधी तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण फल वृक्ष से गिरते है, तो उन फलों पर प्रक्षेत्र का अधिकार होगा एवं प्राकृतिक आपदा का कोई भी भरपाई (**Compansation**) निगम द्वारा नहीं की जायेगी ।

8.6 फलों को उतारना, चुनना, इकठ्ठा करना, उनका परिवहन एवं चौकीदारी इत्यादि के समस्त व्यय अनुबंधकर्ता वहन करेंगे । फलों की चोरी व अन्य किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी ,तूफान ,ओले आदि से हुए नुकसान के लिये पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता का होगा ।

8.7 अनुबंधकर्ता द्वारा जिन व्यक्तियों को कमांक 8.6 के अनुसार कार्य पर लगाया जाता है तो इन सभी की जानकारी (आधार नं. की प्रमाणित प्रति के साथ) प्रक्षेत्र प्रभारी को दी जायेगी एवं उनकी स्वीकृति के उपरांत ही उसे कार्य करने की स्वीकृति दी जायेगी ।

8.8 यदि अनुबंधकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति फल उतारता है तो उसके विरूद्ध योग्य कानूनी कार्यवाही का अधिकार अनुबंधकर्ता को होगा। यदि प्रक्षेत्र का कोई कर्मचारी अनाधिकृत रूप से फल उतारता है तो उसकी लिखित सूचना प्रक्षेत्र प्रभारी को देना होगी तथा प्रक्षेत्र प्रभारी इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे ।

..7..

8.9 प्रत्येक बगीचे के 1 वृक्ष को प्रक्षेत्र प्रभारी चयनित कर प्रायोगिक कार्य हेतु सुरक्षित रखेगें जिसके फल उतारने का अधिकार केवल प्रक्षेत्र प्रभारी को होगा।

8.10. यदि अनुबंधकर्ता या उसके प्रतिनिधि या कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों द्वारा प्रक्षेत्र सम्पत्ति या वृक्षों को हानि पहुॅचाई जाती है तो ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति का आंकलन प्रक्षेत्र प्रभारी करके हानि की राशि जमा करने की लिखित सूचना देगें तथा अनुबंधकर्ता को ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि तत्काल जमा करना होगी । क्षतिपूर्ति की राशि न देने पर प्रक्षेत्र के बाहर फलों का परिवहन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जायेगा ।

8.11 किसी प्रकार के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर जैसे मण्डी टैक्स/जी.एस.टी. टैक्स इत्यादि स्वीकृत राशि के अतिरिक्त होगें जिसे अनुबंधकर्ता द्वारा प्रक्षेत्र प्रभारी के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा ।

8.12 अनुबंधकर्ता अपने साथ प्रक्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में कोई पशु/जानवर नहीं लायेगा और न ही किसी अनाधिकृत व्यक्ति को अपने साथ लायेगा और न ही कोई ऐसी कार्यवाही करेगा जो नियमों के विरूद्ध हो । प्रक्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से घास काटने का अधिकार भी अनुबंधकर्ता को नही होगा ।

8.13 अनुबंधकर्ता को प्रत्येक वृक्ष से प्रतिदिन उतारे गये फलों के वजन की वास्तविक जानकारी प्रक्षेत्र प्रभारी को देना होगी जिससे वे फलों का वर्षवार रिकार्ड तैयार कर सकें । इसके लिये जिस वाहन से फलों को ले जाना है उसका खाली व भरे हुए का वजन तौलकांटे से कराकर रसीदें प्रस्तुत करना होगी ।

9. अनुबंधकर्ता को दिनांक 15.07.2019 तक वृक्षों से फल उतारना आवश्यक होगा । यदि अनुबंधकर्ता दि. 15.07.2019 के पूर्व ही फल उतार लेता है तो उसके पश्चात संबंधित बगीचे में रूकने का अधिकार नहीं होगा ।

10. फल उतारने की तिथि में सामान्य रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा । अपरिहार्य कारणों से यदि दिनांक 15.07.2019 तक फल नहीं उतारने पर अनुबंधकर्ता को लिखित में फल उतारने के कारणों में वृद्धि के लिये आवेदन प्रक्षेत्र बाबई के माध्यम से देना होगा तथा निगम के प्रबंध संचालक समय सीमा में वृद्धि करने अथवा न करने के संबंध में अधिकार सुरक्षित रखेगें । प्रबंध संचालक द्वारा लिये गये निर्णय पर किसी प्रकार की आपत्ति लेने का कोई अधिकार अनुबंधकर्ता को नहीं होगा ।

11. बगीचों में वृक्षों को पानी देने की जवाबदारी प्रक्षेत्र प्रभारी की नहीं होगी । प्रक्षेत्र पर बगीचों की सिंचाई हेतु बोर एवं चालू हालत में सबमर्सिवल पंप उपलब्ध कराये जायेगें जिससे सिंचाई किये जाने की जवाबदारी अनुबंधकर्ता की रहेगी । निगम द्वारा उपलबध कराये गये सबमर्सिवल पंप कार्य पूर्ण होने के उपरांत चालू हालत में वापस किये जाना अनिवार्य है । यदि पंप में कोई खराबी उत्पन्न होती है ,तो ऐसी हानि की भरपाई अनुबंधकर्ता से की जायेगी ।

12. सबमर्सिवल पंप के खराब होने पर उसे प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा सुधरवाया जाएगा जिसकी वास्तविक व्यय की पूर्ति अनुबंधकर्ता को करना होगी ।

13. बिजली चोरी करते पाये जाने पर संबंधित एजेन्सी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता का होगा ।

14. बगीचों के अलावा जिन नलकूपों पर प्रक्षेत्र का स्थायी विद्युत कनेक्शन है एवं प्रक्षेत्र प्रभारी पानी देने हेतु सहमत हैं, ऐसे नलकूपों को यदि बगीचों के लिये उपलब्ध कराया जाता है तो विद्युत व्यय एवं क्र. 15 अनुसार पाईप का किराया का भुगतान अनुबंधकर्ता को किया जाना होगा । इस हेतु अग्रिम में तीन माह की राशि प्रक्षेत्र कार्यालय में जमा कराना होगी । अनुबंधकर्ता यदि चाहे तो अन्य नलकूपों हेतु अस्थायी विद्युत कनेक्शन भी ले सकता है ।

15. बगीचों की सिंचाई के लिये प्रक्षेत्र पर एच.डी.पी.ई पाईप उपलब्ध है । यदि अनुबंधकर्ता चाहे तो एच.डी.पी.ई पाईप 20/— प्रति पाईप प्रतिमाह की दर से राशि प्रक्षेत्र कार्यालय में जमा कर प्राप्त कर सकता है । प्रक्षेत्र से किराये पर लिये गये पाईप अच्छी हालत में निगम को वापस किये जाने होंगें । यदि अनुबंधकर्ता द्वारा खराब/क्षतिग्रस्त पाईप वापस किये जाते हैं तो पाईप की राशि की भरपाई अनुबंधकर्ता से होगी ।

16. निगम के प्रबंध संचालक किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेगें ।

17. अनुबंधकर्ता एवं प्रक्षेत्र प्रभारी में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा होता है तो ऐसा प्रकरण निगम मुख्यालय के उपमहाप्रबंधक (बाबई) को प्रस्तुत किया जायेगा। उपमहाप्रबंधक (बाबई) इस संबंध में आवश्यक निर्णय ले सकेंगे । उपमहाप्रबंधक द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जायेगा जो ''आब्रिट्रेटर'' के रूप में अपना निर्णय देगें । आब्रिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण केवल भोपाल जिले के लिये अधिकृत न्यायालय मे ंप्रस्तुत किया जा सकेगा ।

18. निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि निविदाकर्ता द्वारा निविदा की समस्त शर्तो को भलीभांति पढ़ कर समझ लिया है और उसे स्वीकार करने के उपरांत ही उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है ।

उपमहाप्रबंधक (बाबई)

प्रपत्र क.–2

:: अनुबंध ::

(राशि रू. 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा जिसे आगे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... की ओर से श्री................................ जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे अनुबंधकर्ता कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आम एवं कटहल बगीचे के विक्रय हेतु निविदा दिनांक––––––को निविदा आमंत्रित की गई एवं निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र निगम की ओर से क्रय करते हुए एवं शर्तो को मान्य करते हुए निविदा में भाग लिया गया है । निविदा प्रपत्र भी इस अनुबंध का हिस्सा है।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से निविदाकर्ता की निविदा में उल्लखित दरों को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा अनुबंधकर्ता की आम/कटहल बगीचे के विक्रय हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है, का विवरण प्रपत्र क.–4 पर उल्लेखित है एवं अनुबंधकर्ता निविदा की निर्धारित शर्तों अनुसार निगम में कार्य करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होगें । शर्तों एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लघंन करता है तो निगम पूर्ण रूप से निगम की शर्तों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र ।
3. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

अनुबंधकर्ता

नाम :

पता :

प्रभारी ,
यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र,बाबई

1. गवाह का नाम :
   एवं पता
   हस्ताक्षर

2. गवाह का नाम :
   एवं पता
   हस्ताक्षर

प्रपत्र क.–3

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन,तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
दूरभाषः मुख्यालय भोपाल-0755 – 2551967, 2776575 बाबई फार्म 9039047380

आम एवं कटहल बगीचों के विक्रय हेतु संकल्प धनराशि का विवरण

क.	बगीचे का नाम	इकाई क.	रकबा एकड़ में	प्लाट क.	वृक्षों की संख्या	निर्धारित संकल्प धनराशि	बैंक का नाम	ड्राफ्ट क. /दिनांक	राशि
1	आम	एक	82	5,6,7,8 एवं 9	1297	3,25,000/–			
2	आम	एक	53	14 एवं 15	938	2,00,000/–			
3	आम	दो	80	28,30,32 एवं33	1231	3,00,000/–			
4	कटहल	एक	18	अ/10	443	1,00,000/–			
5	कटहल	एक	26	ब/11	732	1,50,000/–			

नोटः–

उपरोक्त विवरण के अनुसार बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करें चैक किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. नाम...
2. पता...
....
3. पेन नं...
4.दूरभाष/मोबाईल क..........................

प्रपत्र क्र.–4

वित्तीय प्रस्ताव

(लिफाफा क्रमांक 2 में रखा जाये)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
मुख्यालय भोपाल ।

विषयः निविदा प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भः निगम द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना क्र. 6557 दिनांक 13.03..2019

समाचार पत्रों में प्रकाशित आम एवं कटहल के फलों के विक्रय हेतु आमंत्रित निविदा के अनुसार तथा निर्धारित समस्त शर्तो को मान्य करते हुये निम्नानुसार दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

क्र.	बगीचे का नाम	इकाई क्र.	रकबा एकड़ में	प्लाट क्र.	वृक्षों की संख्या	पूर्ण क्षेत्रफल एवं वृक्षों के लिये प्रस्तुत दर	
						अंको में	शब्दों में
1	आम	एक	82	5,6,7,8 एवं 9	1297		
2	आम	एक	53	14 एवं 15	938		
3	आम	दो	80	28,30,32 एवं 33	1231		
4	कटहल	एक	18	अ/10	443		
5	कटहल	एक	26	ब/11	732		

1. दी गई दरें अंकों तथा शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करें ।
2. दरों में किसी भी प्रकार की कांट–छांट नहीं करेंगे । यदि अंकों एवं शब्दों में लिखी दरों में अंतर आता है,तो जो दर अधिक होगी उसे मान्य किया जावेगा ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

1.नाम..

2. पता..

3. दूरभाष क्रमांक.......................................

4. पेन नं..

5. बैंक खाता क्रं..................................

6. आधार कार्ड नं.................................

7. बैंक का नाम एवं शाखा................

8.जी.एस.टी. नं.———